CNR No.- UPFD-04-048001-2022

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद

प्रकीर्ण वाद सं० 3783/2022

गन्धर्भ सिंह बनाम सोनवीर आदि।

दिनांक-06-03-2023

पत्रावली आदेशार्थ नियत है, पेश हुई। विगत तिथि को आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थनापत्र धारा-156 (3) द०प्र०स० पर सुना जा चुका है।

प्रार्थी का संक्षेप में कथन इस प्रकार है विपक्षीगण द्वारा दिनांक 28-10-22 को समय करीब 7 बजे अपने खेत से पानी निकालकर प्रार्थी व गीतम सिंह के खेत में काट दिया जबकि खेत आलू बुवाई के लिये तैयार था जब प्रार्थी व गीतम सिंह ने विरोध किया तो सभी लोगो ने प्रार्थी के बच्चो के साथ मारपीट की ईट मारकर प्रार्थी का बाया जबडा एवं दात तोड दिया। शैलेन्द्र के पैरो में लोहे की पाइप मारकर तोड दिया सर्वेश के सिर में चोट आयी रामू को गले में फन्दा डालकर मारने का प्रयास किया और जान से मारने की धमकी देकर चले गये। घटना के सम्बन्ध में आवेदक ने प्रार्थनापत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरेाजाबाद को भेजा किन्तु कार्यवाही नही होने पर यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थनापत्र शपथपत्र से समर्थित है।

आवेदक की ओर से प्रार्थनापत्र आधार कार्ड, की छाया प्रति दाखिल की है।

थाने की आख्या के अनुसार आवेदक के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा कथन किया गया है कि विपक्षीगण द्वारा दिनांक 28-10-22 सभी लोगो ने प्रार्थी व प्रार्थी के बच्चो के साथ मारपीट की ईट मारकर प्रार्थी का बाया जबडा एवं दात तोड दिया। शैलेन्द्र के पैरो में लोहे की पाइप मारकर तोड दिया सर्वेश के सिर में चोट आयी रामू को गले में फन्दा डालकर मारने का प्रयास किया और जान से मारने की धमकी देकर चले गये। किन्तु प्रार्थी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में कोई आघात आख्या दाखिल नही की गई है और न ही पुलिस अधीक्षक को प्रेषित शिकायत प्रार्थनापत्र की प्रति प्रेषित की गई। आवेदक विपक्षी को उनके नाम व पते के साथ जानता पहिचानता है तथा स्वयं अपने साक्ष्य से मामले को साबित कर सकता है। उपरोक्त परिस्थितियों एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सुखवासी बनाम उ० प्र० राज्य–2007 (59) ए०सी०सी०–739 माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं जोसेफ माथुरी उर्फ विश्वेश्वरानन्द व अन्य बनाम स्वामी सच्चिदानन्द हरिसाक्षी व अन्य–2001 (सप्ली) ए०सी०सी० माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तो के अनुक्रम मे न्यायालय द्वारा इस मामले की जांच की जा सकती है। अतः मामले को परिवाद के रूप मे दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

आवेदक का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–156 (3) द०प्र०सं० निस्तारित करते हुए परिवाद के रूप में दर्ज किया जाता है। वाद लिपिक को आदेशित किया जाता है कि मामले को परिवाद के रूप मे CIS पर दर्ज किया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली वास्ते बयान परिवादी अंतर्गत धारा–200 द०प्र०सं० दिनांक 17–04–2023 को पेश हो।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

फिरोजाबाद।